

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 3rd OCTOBER, 1997

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 3rd October, 1997

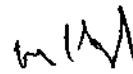
NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.No. 193(E) dated the 14th March, 1996 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, the setting up of common Effluent Treatment Plant at P-24, MIDC, Industrial Area, Talaja, District Raigad, Maharashtra of Talaja CETP Co-operative Society Limited, P-24, MIDC, Talaja, Taluqa - Panvel, Raigad, Maharashtra, as an eligible project or scheme for a period of two years commencing from the assessment year 1997-98;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of one year and enhancing the approved cost from rupees one hundred thirty six lakhs to rupees one hundred seventy five lakhs;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the scheme or project of setting up of common Effluent Treatment Plant at P-24, MIDC, Industrial Area, Talaja, District Raigad, Maharashtra of Talaja CETP Co-operative Society Limited, P-24, MIDC, Talaja, Taluqa - Panvel, Raigad, Maharashtra, at the estimated cost of rupees one hundred seventy five lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of one assessment year i.e., assessment year 1999-2000.



(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10438
F.No. NC-95/97

भारत के राजनयन असाधारण भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड III में दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 को प्रकाशित

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर, 1997

अधिसूचना

सं० आ० 131 आयकर अधिनियम 1961 का 43 की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 13 के साथ पठित उपधारा 11 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 14, मार्च, 1996 की अधिसूचना सं० आ० आ० 1931 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मूल संख्या 2 पर तालोजा सार्वजनिक बहिष्प्रवाह उपचार संयंत्र सहकारी समिति लिमिटेड, पी-24, एम० आई० डी० सी० तालोजा, तालुका-पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र की रायगढ़ महाराष्ट्र पी-24, एम० आई० डी० सी० इंडस्ट्रियल एरिया तालोजा में सार्वजनिक बहिष्प्रवाह उपचार संयंत्र स्थापित करने को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले दो निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था, और उक्त परियोजना अथवा स्कीम के दो वर्षों के बाद भी चलने की संभावना है,

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उप नियम 51 के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे एक और वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा अनुमोदित लागत को एक सौ छत्तीस लाख रुपये से एक सौ पचहत्तर लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है,

अतएव अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 का 43 की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 13 के साथ पठित उपधारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा मात्र एक सौ पचहत्तर लाख रुपये की अनुमानित लागत पर तालोजा सार्वजनिक बहिष्प्रवाह उपचार संयंत्र सहकारी समिति लिमि०, पी-24, एम० आई० डी० सी० तालोजा, तालुका, पनवेल, रायगढ़ महाराष्ट्र की पी-24, एम० आई० डी० सी० औद्योगिक क्षेत्र, तालोजा, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र में सार्वजनिक बहिष्प्रवाह उपचार संयंत्र स्थापित करने की परियोजना या स्कीम को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एक और निर्धारण वर्ष अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

1 वी० के० सहगल।

उप-सचिव, भारत सरकार

सं० 10438
फा० सं० आ० सं० 95/97